



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-487/NH-52/Ele./2025-26/ 738

Date: 04.06.2025

Invitation of Public Comments

Sub: 4 laning of MP/Maharashtra Border-Dhule section of NH-52 from km 168.500 to km 265.000 in the State of Maharashtra under NHDP Phase-III on DBFOT Basis -**Proposal for crossing of km 226.876 & km 226.903 proposed 132kv DC line from Tab on 132kv Amlaner-Nardana to proposed irrigation 132/22 sub/Stn at Gorane, Dist. Dhule- Reg.**

Ref.:

1. PD, PIU Dhule letter no. 1018 dated 29.05.2025.
2. EE, Tapi Hydroelectric & Lift Irrigation Div. 2 Dhule letter no.586 dated 14.05.2025.

This is to inform all concerned that vide their letter under Ref.2, that the Tapi Hydroelectric & Lift Irrigation has submitted a proposal for the subjected work. Subsequently, the NHAI, PD, PIU-Dhule has recommended the above proposal vide his letter under Ref. 1 for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

1) The alignment / location for laying of the proposed in the subject mentioned section is as follows:

- Crossing at km 226.876 & km 226.903.

2) As per Para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall put out a NOTICE in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest etc.).

In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from the issuance of this Public Notice. Any comments received of the expiry of the above period / beyond the due date, will NOT be accepted. Please note.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra
Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

(A.S. Pimple)

General Manager (Tech)

Copy to:

- (i) Web Admin., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
- (ii) Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-487/NH-52/Ele./2025-26/ 738

दिनांक: 04.06.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत डीबीएफओटी आधार पर एनएच-52 के एमपी/महाराष्ट्र सीमा-धुले खंड को किमी 168.500 से किमी 265.000 तक 4 लेन का बनाना - टैब ऑन 132 केवी अमलानेर -नारदाना से गोराने, जिला धुले में प्रस्तावित सिंचाई 132/22 सब/ स्टेशन तक प्रस्तावित 132 केवी डीसी लाइन किमी 226.876 और किमी 226.903 को क्रॉस करने का प्रस्ताव- पंजीकृत।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू धुले पत्र संख्या 1018 दिनांक 29.05.2025।
2. ईई, तापी हाइड्रोइलेक्ट्रिक और लिफ्ट सिंचाई डिवीजन 2 धुले पत्र संख्या 586 दिनांक 14.05.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि तापी हाइड्रोइलेक्ट्रिक और लिफ्ट सिंचाई ने संदर्भ 2 के तहत अपने पत्र के माध्यम से विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके बाद, एनएचएआई, पीडी, पीआईयू-धुले ने संदर्भ 1 के तहत अपने पत्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

3) विषयगत खंड में प्रस्तावित बिछाने के लिए संरक्षण / स्थान निम्नानुसार है:

- किमी 226.876 एवं किमी 226.903 पर क्रॉसिंग।

4) मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित आदि के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में नोटिस जारी करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। उपरोक्त अवधि की समाप्ति/निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। कृपया ध्यान दें।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

(ए.एस. पिंपले)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

- (i) वेब एडमिन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
- (ii) निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]